(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय में नीति विकास केन्द्र की स्थापना।

(vii) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जी आई एस के इस्तमाल से परती भूमियों का मूल्यांकन प्रारम्भ किया जाए।

(viii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा विस्तार कार्यों को तेजी से किया जाना चाहिए और गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्वालिटी प्लांटिंग मेटीरियल) के उत्पादन का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बीज और रोपण सामग्री प्रमाणन अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिए; प्रेयोक्ताओं की सहभागिता से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा प्रयोग प्रदर्शन किए जाने चाहिए।

(ix) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उपयुक्त उत्पादन आंकडा संग्रह तथा गैर-काष्ठ वन उत्पादों की मार्किट तथा व्यापार-नीतियों की मानिटरिंग की जानी चाहिए।

(x) प्रादेशिक विशेषज्ञ दल की स्थापना के माध्यम से वनीकरण विषय पर प्रादेशिक परामर्श करने के संबंध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी है।

(xi) उप-वन महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को जैव विविधता और मरुस्थलीकरण नियंत्रण प्रभाग में तैनात किया जाना चाहिए और वे सभी फाइलें, जिन्हें पर्यावरण और वन सचिव और मंत्री के पास वनीकरण गतिविधियों के लिए निधियां मांगने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, उन्हें वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(xii) राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड की चराई नीति के कार्यान्वयन हेतु।

की गई कार्रवाई: समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए तथा देश के वन आवरण को बढ़ाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में 2.7.98 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

Abandonment of Ganga Action Plan by the West Bengal Government

3399. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT & FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the centrally sponsored project of Ganga Action Plan has been abandoned by the West Bengal Government because Centre has refused to sanction funds for this;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) whether it is possible to generate funds for the completion of Ganga Action Plan so as to derive the benefit of pollution free water of Ganges in its entire course?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Suitable allocations have been provided in the 9th Plan to meet the Central share in the scheme of the Ganga Action Plan Phase II.

Privatisation of Degraded Forest Lands

3400. DR. B. B. DUTTA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various sectors of industry have been lobbying for privatisation of degraded forest lands to get control over raw production;

(b) if so, details thereof alongwith Government's reaction thereto;

(c) whether Government have set up any committee for updating the National Forest Policy, 1988; and

(d) if so, the main recommendations made by the said committee alongwith action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) and (b) The paper manufacturing industry has been demanding access to severely degraded forest lands to set up captive plantations for meeting their raw material requirement by involving the industries/private entrepreneurs. The Planning Commission has constituted a working group in June, 1997 on the prospectus of leasing out the degraded forest land to the private entrepreneurs/

forest corporations under the Chairmanship of Dr. N.C. Saxena, Secretary, Ministry of Rural Areas & Employment. The recommendations of the Working Group are still awaited.

(c) and (d) The Government had set up a committee in October 1997 to review the National Forest Policy, 1988 and its implementation. The committee has submitted its report in February, 1998 with the main recommendations that "The National Forest Policy, 1988, per se, does not need major changes," as a period of nine years is inadequate to assess its impact. The Government has sought the opinion of all the State/UT Governments on the recommendations of the Committee.

प्रदूषण संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए मामले

3401. **श्री राधाकिशन मालवीय:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शहरवार कितने-कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या उक्त अवधि में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों, कारखानों, वाहनों, तेलशोधक कारखानों, इस्पात संयंत्रों के खिलाफ उपयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और ये किनके विरुद्ध दर्ज किए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में (नगरवार), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या निम्नवत् है:—

नगर/जिले का नाम	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
1. कटनी	12	
2. देवास	1	1
3. बिलासपुर	—	1
4. मुरैना	—	1
5. खरगोन	—	1
कुल	13	4

(ख) और (ग) विवरण के अनुसार। **(नीचे देखिए)**।

विवरण

क्र० सं०	उद्योग का नाम	जिला	अधिनियम तथा धारा	दायर करने की तारीख	निजी/सरकारी उपक्रम
1.	म०प्र० विद्युत मंडल (पूर्वी) कोरबा	बिलासपुर	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 धारा 43, 44	12.9.95	राज्य सरकार का उपक्रम
2.	के०एस० आयल मिल्स, मुरैना	मुरैना	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 धारा 33, 44	23.2.96	-निजी-